—Launch of manpower development training/retraining programmes through offering of Associationships / Fellowships Courses etc.

The above are only illustrative and many more are under implementation.

Social forestry in the Konkan Region of Maharashtra

*27. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to large scale destruction of trees in backward Konkan region of Maharashtra, there is growing realisation among the people of the need for social forestry on a large scale; and

(b) if so, what concrete and time-bound steps are proposed to be taken to augment social forestry in the area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SMT. MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Social Forestry Programme under implementation in Maharashtra includes all the four districts of Konkan region, *viz*, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and Thane. So far, 1150 villages have been covered in the region. The main activities are block plantations, strip plantations, demonstration plantations, nursery raising, farm forestry, soil and water conservation and support services.

Central assistance is being provided under Centrally Sponsored Schemes for raising rural fuelwood plantations and decentralised nurseries. Voluntary agencies are provided grants for activities like nurseries, planting and for creating awareness. In addition, funds are provided under the Rural Employment Programme for promoting Social Forestry.

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में कमी

*28. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल में अनुमानत: कितनी कमी आई थी और इसकी तुलना में उसी अवधि के दौरान कितने क्षेत्रफल में ऐसा वृक्षारोपण किया गया है, जहां लगाए गए वृक्ष बरकरार हैं ;

(ख) सरकार परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से वनों के क्षेत्रफल में कमी के रूख को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या देश के अन्य राज्यों में भी इस संबंध में कोई कारगर उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा की गयी उपग्रह प्रतिबिम्बिकी की व्याख्या से मालूम होता है कि 1981–83 से 1985–87 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में 5442 वर्ग किलोमीटर (4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है । वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने 1986 से 1988 के दौरान वनेत्तर प्रयोजनों के लिए 496.12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को उपयोग में लाने की मंजूरी दी है । इसकी तुलना में 1986–87 से 1988–89 तक की अवधि के दौरान 6210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वनरोपण के अंतर्गत लाया गया ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार निर्धन ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार वानिकी, ऊर्जा पौधरोपण, लाभप्रद पौधरोपण वृक्ष पट्टा स्कीम आदि कार्यक्रम चला रही है । वनों की सुरक्षा, पुनर्जनन और विकास

में आदिवासियों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं ।

(ग) देश में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से देश में वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्र में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार ने निम्न लिखित कार्रवाई की है :—

1. दिसम्बर, 1988 में एक नयी-राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गयी थी, जिसमें वनों के संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है । इसमें चराई, अग्नि और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध है ।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था । 1988 में एक संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है ।

3. वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ।

4. घरेलू और वाणिज्यक क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए ईंधन की लकड़ी के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण और फर्नीचर आदि में लकड़ी के विकल्पों का उपयोग किया जा रहा है ।

6. इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है ।

7. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

8. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं :—

(1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागबानी दृष्टकोणों से, इस प्रकार की कटाई जरूरी हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हैक्टेयर और मैदानों में 25 हैक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(2) पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगाने का विचार करना ।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें कटाई से वनों की सुरक्षा करने और और तत्काल व्यापक वन रोपण की जरूरत है ।

(4) 4 प्रतिशत भोगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों राष्ट्रीय उद्यानों जीव मंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों में सब में अलग रखना ।

(5) वनों को आग से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करना ।

9. निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का दर्जा बढाकर राष्ट्रीय परती भूमि विकास मिशन कर दिया गया है :

—भू-अवक्रमण को रोकना

—परती भूमि का स्थाई उपयोग करना

—बायोमास, विशेष रूप से ईंधन की लकड़ी/चारे की उपलब्धता में वृद्धि करना और

—पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली

Swedish Audit Bureau Report on Payments n the Bofors Gun Deal

*29. SHRI ASHWANI KUMAR:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 208 given in the Rajya